प्रार्थी/वादी द्वा
माध्यम से विशिष्ट न्यायाधीश,
जनजाति (अत्याचार निवारण) प्रकरण, मेड़ता के प्रकरण सं
56/2023 की आदेशिका की प्रमाणित प्रतिलिपी प्रस्तुत की
उक्त प्रस्तुत दस्तावेज हस्तगत प्रकरण से संबंधित दृष्टिगत हो
है। न्यायालय का यह भी विनम्र मत है कि पत्रावली अभी सा
वादी की स्टेज पर नियत है। उक्त प्रस्तुत दस्तावेज फर्जी अथ
कूटरचित होने का कोई अभिकथन अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वा
नहीं किया गया। उक्त दस्तावेजों के संबंध में खण्डन करने क
अवसर प्रतिवादीगण को प्राप्त होगा। न्यायालय का यह भी विन
मत है कि उक्त आदेशिका दिनांक 18.05.2023 की है तथा उसक
प्रतिलिपी भी वर्ष 2023 में ही प्राप्त कर ली गई थी तथा हस्तग
प्रकरण में आदेश 7 नियम 14 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के माध्य
से उक्त दस्तावेज अब रिकॉर्ड पर लिये जाने का प्रार्थना प
प्रस्तुत किया गया है। पत्रावली टारगेट केस है तथा माननीय उच्च
न्यायालय द्वारा ऐसे प्रकरणों के शीघ्र अतिशीघ्र निस्तारण करने के
स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं। अतः उपरोक्त विवेचनानुसार
प्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 14
(3) सीपीसी 1,000/- रूपये कॉस्ट पर स्वीकार कर प्रस्तुत
दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लिये जाने का आदेश दिया जाता है।
पत्रावली टारगेट पत्रावली है। अधिवक्ता वादी को निर्देशित किया
जाता है कि आईन्दा तारीख पेशी पर साक्ष्य वादी में अपने गवाह
को आवश्यक रूप से समय पर न्यायालय में उपस्थित रखें।
पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी हेतु दिनांक 15.9.25 को पेश हों।

8.9.25

अपर जिला न्यायाधीश
संख्या-2, नागौर (राज०)

15.9.25 अधिवक्तागण उभयपक्ष उपस्थित। सा. वादी में गवाह उप. नहीं। आइन्दा गवाह उप. रखें। पत्रावली वास्ते सा. वादी दि. 27.9.25 को पेश हो।

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
संख्या 2 नागौर